राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 11 अक्टूबर, 2018

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित चूरू जिले की नगरपालिका छापर के वार्ड संख्या 03 एवं 04 तथा नगरपालिका जागरूक के वार्ड संख्या 24 के रिक्त पदों पर उप चुनाव दिनांक 22.10.2018 को करार जाने के निर्देश जारी किए गये हैं।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिसरी क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135—ग के प्राध्यापनानुसार मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात दिनांक 20.10.2018 को साञ्च 5.00 बजे से दिनांक 22.10.2018 को साञ्च 5.00 बजे तक एवं मतगणना दिवस पर दिनांक 24.10.2018 को मतगणना समाप्ति तक चूरू दिवस घोषित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(ऑफिस मल राजोगितिया)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
(वित्तीय तल, विकास खंड, सदिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(1)(8)नपा/राजिना/2018/3571

दिनांक:- 12-10-2018

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चूरू, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सहायक सचिव)
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

D:\NP\F4(1)7 NP SEC 2017_bye-election June, 2018.doc